

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
JODHPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 10/2026

Reliance General Insurance Comapnay Ltd.

----Appellant

Versus

Rajeev Kumar Meena

----Respondent

For Appellant(s)	: Mr. Love Sanwal
For Respondent(s)	: Mr. Rajendra Singh Rathore Mr. Basant Kumar Meena

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

06/05/2026

अपीलार्थी/बीमा कम्पनी की ओर से यह अपील विद्वान मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, क्रम-1 उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 814/2022 में पारित निर्णय दिनांक 4.2.2025, जिसके माध्यम से प्रत्यर्थी/क्लेमेन्ट के पक्ष में 31,50,000/-राशि का पंचाट पारित किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है।

यह अपील दिनांक 19.1.2026 को विचारार्थ ग्रहण की जा चुकी है तथा इसी दिवस को विद्वान अधिकरण द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के माध्यम से दिलवाई गई पंचाट राशि की 70 प्रतिशत राशि मय ब्याज जमा करवाये जाने की शर्त पर शेष पंचाट राशि के सम्बन्ध में पंचाट के निष्पादन सम्बन्धी कार्यवाही को स्थगित किया गया था। साथ ही, यह भी आदेश दिया गया है कि उक्त 70 प्रतिशत राशि मय ब्याज, जो अपीलान्त द्वारा जमा करवाई जायेगी, वह दावेदार/प्रत्यर्थी को वितरित की जा सकेगी।

इस अपील के लम्बित रहने के दौरान प्रार्थिया निर्मला कुमारी की ओर से दो प्रार्थना पत्र क्रमशः आई.ए. 1/2026 आदेश-1 नियम 10 सी.पी.सी (बाबत प्रकरण में स्वयं तथा उसके पुत्र को पक्षकार बनाये जाने के सम्बन्ध में) तथा आई.ए. 2/2026 पूर्व में पारित आदेश दिनांक 19.1.2026 के तहत जमाशुदा अवार्ड राशि के वितरण के सम्बन्ध में संशोधन किए जाने हेतु प्रस्तुत किए गये।

प्रार्थना पत्र संख्या-2/2026 पर दोनों पक्षों को सुना गया।

प्रार्थिया निर्मला कुमारी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थिया इस मामले में दुर्घटनाग्रस्त हुए आहत राजीव कुमार की विवाहिता पत्नी है तथा उसकी ओर से प्रार्थना पत्र के साथ विवाह प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है। उनका तर्क है कि दुर्घटना में उसके पति आहत राजीव कुमार को 100 प्रतिशत स्थाई निर्योग्यता कारित हुई है। विद्वान अधिकरण के समक्ष उसके पिता ने न्याय-मित्र बनकर क्लेम याचिका प्रस्तुत की थी तथा विद्वान अधिकरण ने जो अवार्ड राशि दिलाई है, वह भी न्यायमित्र (पिता) के जरिये ही वितरित किए जाने का आदेश दिया है। उनका तर्क है कि प्रार्थिया के श्वसुर उक्त अवार्ड राशि स्वयं ही प्राप्त कर प्रार्थिया को घर से निकालने पर उतारू है, जबकि प्रार्थिया आहत/क्लेमेन्ट की विवाहिता पत्नी है तथा उनके एक सन्तान भी है। उनका तर्क है कि प्रार्थिया को आशंका है कि उसके श्वसुर क्षतिपूर्ति राशि का उपयोग आहत राजीव के उपचार एवं भलाई में नहीं कर इसका उपयोग अन्यत्र कर सकते हैं। उनका तर्क है कि प्रार्थिया की ओर से विद्वान अधिकरण के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पंचाट दिनांक 4.2.2025 का पुनर्विलोकन किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जो वर्तमान में लम्बित है तथा इस प्रार्थना पत्र का निस्तारण होने से पूर्व ही यदि आदेशित क्षतिपूर्ति राशि वितरित कर दी जाती है तो प्रार्थिया के अधिकार प्रभावित होंगे क्योंकि वह स्वयं तथा उसका पुत्र आहत/पति की आय पर ही निर्भर है। अतः वितरण राशि के सम्बन्ध में विद्वान अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र का निस्तारण होने तक जमाशुदा राशि के वितरण पर रोक लगाई जाये।

सुना गया। प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जमाशुदा अवार्ड राशि के सम्पूर्ण वितरण पर रोक लगाया जाना उचित नहीं है क्योंकि आहत के 100 प्रतिशत स्थाई निर्योग्यता कारित हुई है, जिसके उपचार एवं कल्याण हेतु राशि की आवश्यकता रहेगी,। अतः इस प्रक्रम पर यहीं आदेश दिया जाना उचित समझा जाता है कि बीमा कम्पनी द्वारा जो राशि जमा करवाई गई है, उस राशि का 50 प्रतिशत भाग ही पूर्व आदेश के अनुसार क्लेमेन्ट को वितरित किया जाये तथा शेष भाग का वितरण फिलहाल नहीं किया जाये। साथ ही, यह आदेश भी दिया जाता है कि उक्त अवार्ड राशि, जो आहत को जरिये न्यायमित्र (पिता) अदा की जा रही है, उसका व्यय आहत के हित, भलाई व उपचार हेतु ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये। विद्वान अधिकरण को भी आदेश दिया जाता है कि प्रार्थिया की ओर से प्रस्तुत

पुनर्विलोकन के प्रार्थना पत्र का निस्तारण यथासंभव दो माह के अन्दर-अन्दर किया जाये।

इस प्रकार प्रार्थना पत्र संख्या आई.ए.2/2026 का निस्तारण किया जाता है। प्रकरण चार सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया जाये।

(SHUBHA MEHTA),J

77-jitendra/-